सदस्य राजस्व मण्डल ग्वालियर, (म0प्र0)

COURT FEE 20 Rs. भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

निग॰ 4179-III-14   प्र. 201

843
9.12.14

रामरक्षा शुक्ला तनय श्री जगन्नाथ शुक्ला उम्र 65 वर्ष निवासी ग्राम बदखर तह0रघुराजनगर जिला सतना म0प्र0

निगराकार

बनाम

बृजलाल सेन तनय श्री बहोरी सेन उम्र 70 वर्ष निवासी ग्राम बदखर तह0 रघुराजनगर जिला सतना म0प्र0.....**गैरनिगराकार**

श्री महेन्द्र कुमार अग्निहोत्री द्वारा आज दिनांक 9-12-14 प्रस्तुत किया गया।

रीडर
सर्किट कोर्ट रीवा

15.12.14

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 का.मा.

निगरानी विरूद्ध न्यायालय श्रीमान् तहसीलदार तहसील रघुराजनगर जिला सतना म.प्र. के राजस्व प्र.क्रं. 22ए12/13-14 आदेश दिनांक 07.02.14

मान्यवर,

निगराकार द्वारा निम्नलिखित निगरानी प्रस्तुत कर विनय करता है :-

प्रकरण के तथ्य :- इस प्रकार है कि गैर निगराकार द्वारा ग्राम बदखर की आराजी नं. 343/1, 351/1, 352/1, 353/1, 354/1, 355/1, 381/1 का सीमाकंन आवेदन पत्र कार्यालय राजवस्व निरीक्षक वृत्त सतना तह0 रघुराजनगर जिला सतना के यहाँ प्रस्तुत किया जिसमें हल्का पटवारी एवं राजस्व निरीक्षक द्वारा उक्त आराजियात के सम्बंध में सीमांकन बावत सरहद्दी कास्तकारों को दिनांक 04.12.13 को इस आशय की सूचना दी गई कि उक्त दिनांक को 10

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ

भाग – अ

प्रकरण कमांक निगरानी 4179–तीन/2014 जिला सतना

रामरक्षा शुक्ला विरूद्ध बृजलाल

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकरों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
5–6–2015	आवेदक द्वारा यह निगरानी राजस्व निरीक्षक मण्डल सतना तहसील रघुराजनगर तहसीलदार जिला सतना के प्रकरण कमांक 22/अ–12/2013–14 में पारित आदेश दिनांक 07–2–2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की है। 2/ आवेदक अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। निगरानी प्रकरण एवं अधीनस्थ न्यायालय के आदेश पत्रिका तथा अन्य दस्तावेजों की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदिका सीमांकन के समय दिनांक 4–12–2013 को मौके पर उपस्थित थी और हस्ताक्षर के साथ यह लेख किया कि सीमांकन मंजूर नहीं। इससे यह प्रकट होता है कि आवेदिका सीमांकन के समय स्थल पर मौजूद थी, परन्तु उसके द्वारा सीमांकन के संबंध में किसी प्रकार की लिखित आपत्ति आदेश दिनांक 07–2–2014 तक राजस्व निरीक्षक को प्रस्तुत नहीं की। राजस्व निरीक्षक के समक्ष लगभग तीन माह तक किसी प्रकार लेखी आपत्ति नहीं आने के कारण दिनांक 07–2–14 को सीमांकन प्रमाणित कर दिया गया। इस स्तर पर आवेदिका का यह तर्क मान्य नहीं किया जा सकता कि उसके	

आपत्ति किये जाने के बाद भी सीमांकन को प्रमाणित कर दिया गया। आवेदिका यदि सीमांकन से संतुष्ट नहीं थी, तो उसे नियत समय के अन्दर राजस्व निरीक्षक के समक्ष उपस्थित होकर लिखित आपत्ति पेश करना चाहिए थी। राजस्व निरीक्षक के आदेश में किसी प्रकार की कोई त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है। फलस्वरूप यह निगरानी प्रथमदृष्टया आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो।

(डॉ0 मधु खरे)
सदस्य